न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 166/2020 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पीराराम पुत्र दीपाराम 2. रतनाराम पुत्र दीपाराम के कायम मुकाम 2.1 शंकरलाल पुत्र रतनाराम 2.2 पुरखाराम पुत्र रतनाराम 2.3 लेहरोदेवी पत्नी रतनाराम 3. चेतनराम पुत्र दीपाराम 4. भीयाराम पुत्र दीपाराम 5. भगाराम पुत्र गोरधनराम 6. नानगाराम पुत्र गोरधनराम 7. जेठाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट, निवासी रामदेवपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक भीयाड़

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री चैनाराम चौधरी।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 10.09.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा रामदेवपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 451/257, 450/257 रकबा क्रमशः 120.00, 120.00 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी व टांके आदि बने हुए है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी का राजीनामा का एग्रीमेन्ट पेश कर बंटवारा किया गया, जिसका नामांतरकरण संख्या 189 पारित किया गया। पूर्व में उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी थी, जिसमें पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से विधिवत बंटवारा करवाया गया है। उक्त समस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 257 के विभाजित होने पर अमलदरामद की गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये एवं बिना एग्रीमेन्ट नक्शा देखे गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 451/257, 450/257 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए राजीनामा [illegible] एवं वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस [illegible] करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका [illegible] तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर खातेदारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested

क्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त को र रखते हुए उपस्थित मौतबिरान एवं प्रभावित पक्षकारान् द्वारा मौका फर्द के संलग्न शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार एवं राजीनामा के एग्रीमेन्ट अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणी अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित समस्त खातेदारान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामदेवपुरा, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 451/257, 450/257 रकबा क्रमशः 120.00, 120.00 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:59:26 IST
Reason: SelfAttested